प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट९ भोपाल 462011
फोन न.– .+91-755-2578801-02-03-04, Fax: .+91-755-2550498,
website: www.peb.mp.gov.in, E-mail Id : Complain.peb@mp.gov.in

पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) - 2021

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
भरने की प्रारम्भ तिथि : 06/10/2021	भरने की अंतिम तिथि : 20/10/2021
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 06/10/2021	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 25/10/2021
परीक्षा दिनांक व दिन	26 नवम्बर 2021 शुक्रवार
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. **400/-**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. **200/-**
ऑनलाईन आवेदन -कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये **60**/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क **20**/- रू. देय होगा ।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
26 नवम्बर 2021 शुक्रवार	प्रथम	प्रात: 07:00- 08:00 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 11:00 बजे तक(**2**:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर **01**:00- 0**2**:00 बजे	0**2**:50 से 0**3**:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 0**3**:00 से 0**5**:00 बजे तक (**2**:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
3. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई**(UIDAI)** के द्वारा सत्यापित **(Verify)** होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा ।
4. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई / आधार नंबर / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार कार्ड- आधारVID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
5. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
7. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
8. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
9. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।
11. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाता हैं | अत: कम्प्युटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी |

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in, ई-मेल : E-mail Id : Complain.peb@mp.gov.in

पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) - 2021

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	**1**	नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) के अंतर्गत पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश नियम	**03-11**
2.	**2**	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश	**12-28**
3.	**3**	परीक्षा का पाठ्यक्रम	**29-32**
4.	**प्रारूप-1**	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	**33**

अध्याय-1

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पशुपालन पत्रोपाधि प्रवेश विनियम 2021 - 22

मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) एवं मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रदेश के 05 वेटनरी पॉलीटेक्निकों में दिवर्षीय पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम

1. संक्षिप्त नाम :-

इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2021 - 22 है।

2. परिभाषाएं :-

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

2.1 ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम (क्रमांक 16 सन् 2009) एवं संशोधित अधिनियम 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012)

2.2 ''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा गठित विद्या परिषद्

2.3 ''उपबंध'' से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न उपबंध।

2.4 ''सामान्य प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से वेटनरी पॉलीटेक्निकों में गुणानुक्रम आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यार्थियों के गुणानुक्रम के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा

2.5 ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारीय

2.6 ''फीस'' से अभिप्रेत है, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 एवं संशोधित अधिनियम 2012 में उल्लेखित प्रावधानो के अधीन गठित समिति द्वारा निर्धारित फीस

2.7 ''संस्था प्रमुख'' से अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय/ वेटनरी पॉलीटेक्निक का प्रमुख

2.8 ''अर्हकारी परीक्षा'' से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यार्थी इन विनियमों में यथाविहित सुसंगत पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है।

2.9 ''एकल खिडकी प्रणाली'' से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यार्थियों को प्रस्थापित किए जाते है।

2.10 ''व्यापम'' से अभिप्रेत है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, मध्यप्रदेश।

2.11 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. **लागू होनाः-**

ये नियम नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा संचालित पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु अधिसूचित महाविद्यालयों/ वेटनरी पॉलीटेक्निकों को लागू होंगे।

4. **प्रवेश नियमः-**

वर्ष 2021 -22 से एवं आगे के लिए प्रवेश नियम-

समस्त वेटनरी पॉलीटेक्निकों में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

4.1 विभिन्न वेटनरी पॉलीटेक्निकों में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार स्थानों की संख्या निम्नानुसार होगी (तालिका 1) :-

तालिका -1

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्थानो की संख्या
1	वेटनरी पॉलीटेक्निक, जबलपुर	64
2	वेटनरी पॉलीटेक्निक, महू	63
3	वेटनरी पॉलीटेक्निक, रीवा	62
4	वेटनरी पॉलीटेक्निक, भोपाल	61
5	वेटनरी पॉलीटेक्निक, मुरैना	61
	कुल योग	311

4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण-

प्रत्येक संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछडा वर्ग की प्रवर्गो के क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न

आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (तालिका 2)।

तालिका - 2
संस्थावार आरक्षण

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	सामान्य	समान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.
1	वेटनरी,पॉलीटेक्निक, जबलपुर	24	3	10	12	16
2	वेटनरी पॉलीटेक्निक, महू	24	2	10	12	16
3	वेटनरी पॉलीटेक्निक, रीवा	21	2	10	12	17
4	वेटनरी पॉलीटेक्निक, भोपाल	21	2	09	12	16
5	वेटनरी पॉलीटेक्निक, मुरैना	21	2	09	12	16
	कुल योग	111	11	48	60	81
विभिन्न श्रेणियों की 20 प्रतिशत सीटों में प्रवेश भुगतान फीस (पेमेन्ट सीट) द्वारा किया जायेगा।						

<u>तालिका 02 में सीटों का आरक्षण श्रेणी वार निम्नानुसार होगा</u>

फ्री सीट का आवंटन एवं आरक्षण

महा विद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)		अनु.जाति (एस.सी.)		अनु.जनजाति (एस.टी.)		अन्य पिछडा वर्ग(ओ.बी.सी.)		*योग*	समान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर
	X	*F*	*X*	*F*	*X*	*F*	*X*	*F*		
वेटनरी,पॉलीटेक्निक, जबलपुर	**13**	**6**	**5**	**3**	**6**	**3**	**9**	**4**	**49**	**2**
वेटनरी पॉलीटेक्निक, महू	**13**	**6**	**6**	**2**	**6**	**3**	**9**	**4**	**49**	**1**
वेटनरी पॉलीटेक्निक, रीवा	**12**	**5**	**6**	**2**	**7**	**3**	**9**	**4**	**48**	**2**
वेटनरी पॉलीटेक्निक, भोपाल	**12**	**5**	**5**	**2**	**7**	**3**	**9**	**4**	**47**	**2**
वेटनरी पॉलीटेक्निक, मुरैना	**12**	**5**	**5**	**2**	**8**	**2**	**9**	**4**	**47**	**2**
कुल योग	**62**	**27**	**27**	**11**	**34**	**14**	**45**	**20**	**240**	**9**

पेमेंट सीट का आवंटन एवं आरक्षण

महा विद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)		अनु.जाति (एस.सी.)		अनु.जनजाति (एस.टी.)		अन्य पिछडा वर्ग(ओ.बी.सी.)		*योग*	समान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर
	X	*F*	*X*	*F*	*X*	*F*	*X*	*F*		
वेटनरी,पॉलीटेक्निक, जबलपुर	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**1**	**2**	**1**	**12**	**1**
वेटनरी पॉलीटेक्निक, महू	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**12**	**1**
वेटनरी पॉलीटेक्निक, रीवा	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**12**	**0**
वेटनरी पॉलीटेक्निक, भोपाल	**3**	**1**	**2**	**0**	**2**	**1**	**2**	**1**	**12**	**0**
वेटनरी पॉलीटेक्निक, मुरैना	**3**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**	**2**	**1**	**12**	**0**
कुल योग	**15**	**7**	**7**	**3**	**8**	**4**	**11**	**5**	**60**	**2**

(वर्गः F = महिला, EWS = सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर X = इन में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग)

टीप:- म.प्र. शासन द्वारा नवीन वेटनरी पॉलीटेक्निक/फिशरी पॉलीटेक्निक/डेयरी पॉलीटेक्निक प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त होने पर एवं/अथवा निजी वेटनरी पॉलीटेक्निक/फिशरी पॉलीटेक्निक/डेयरी पॉलीटेक्निक खुलने पर उपरोक्त दर्शायी गई सीटों में बढोत्तरी हो सकती है।

4.3 आरक्षित स्थानों का परिवर्तन
आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न उपलब्ध होने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति दूसरे संवर्ग से निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी-

4.3.1 अनुसूचित जन जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में आरक्षित स्थान के रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से की जावेगी।

4.3.2 अनुसूचित जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से की जा सकेगी।

4.3.3 अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य पिछडा वर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारो से की जा सकेगी।

4.3.4 उपरोक्तांकित तीनो आरक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों को अनारक्षित संवर्ग में परिवर्तित करते हुए अनारक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारो से पूर्ति की जा सकेगी।

4.3.5 सभी वर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें ना मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरूषों से की जावेगी

4.3.6 सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर EWS) वर्ग हेतु 10 प्रतिशत सीटे आरक्षित रहेगीं, जिसमें प्रवेश मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार किया जावेगा।

4.3.7 आवेदक को उसकी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ होगा।

4.4 प्रवेश के लिए पात्रता -
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार।

4.4.1 शैक्षणिक अर्हताः-

अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश/केन्दीय माध्यमिक शिक्षा मडण्ल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 पद्धति से 12 वी कक्षा की परीक्षा या केन्दीय सरकार अथवा संबधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल की 12 वी की समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय (जीव विज्ञान/गणित/कृषि) की 12वीं परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत अंकों की शिथिलता दी जायेगी।

इस पाठयक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मलित हो सकते हैं, जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मडण्ल मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12 वी कक्षा या समकक्ष परीक्षा मे सम्मलित हो चुके हैं या होने वाले हैं । किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठयक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हताकारी 10+2 पद्धति की 12 वी कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर अंकसूची प्रस्तुत करेगें ।

4.4.2 **प्रवेश हेतु आयु सीमा**
अभ्यार्थी की आयु सीमा 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति में न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होना अनिवार्य है। महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों हेतु उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

4.4.3 अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

4.5 **प्रवेश की रीति :-**
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा तथा मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड में अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर समेकित सूची तैयार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा।

4.6 **प्रवेश की प्रक्रिया :-**

4.6.1 समस्त वेटनरी पॉलीटेक्निकों में प्रवेश हेतु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल मध्यप्रदेश के माध्यम से संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रम स्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यता क्रम से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से दिया जाएगा।

4.6.2 ऐसे समस्त प्रवेश, विश्वविद्यालय की केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) समिति के माध्यम से दिए जाएंगे।

4.6.3 विश्वविद्यालय काउन्सलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नही मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय निहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आनलाईन/स्पॉट काउंसलिंग की जानकारी एवं नियम हेतु निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ndvsu.org देखते रहें।

4.6.4 यदि कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है या निहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/ देगी।

4.6.5 यदि कोई अभ्यार्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु दस्तावेज सत्यापन/स्पॉट काउसलिंग की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यार्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ/सिविल सर्जन द्वारा जारी किये चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

4.6.6 कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) के दिन किसी संस्था में एक बार प्रवेश ले लेता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के उसी चरण में परिवर्तन किए जाने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.6.7 यदि परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से किसी विशिष्ट संस्था में अभ्यार्थी ने एक बार प्रवेश ले लिया है, तो संस्था के अंतरण हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4.6.8 सफल अभ्यार्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना होगी। फीस, आवंटित वेटनरी पॉलीटेक्निक में निर्धारित समय अवधि तक जमा करनी होगी।

4.6.9 जिन अभ्यर्थियों ने पेमेंट सीट के विकल्प का चुनाव किया है वे केवल पेमेंट सीट पर ही प्रवेश के लिये पात्र होगें।

4.7 **प्रवेश का रद्द किया जाना :-**

4.7.1 यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यार्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यार्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यार्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किया जायेगा।

4.7.2 परामर्श (काउन्सलिंग) के उपरान्त योग्य अभ्यार्थियों को आवंटित वेटनरी पॉलीटेक्निक में प्रवेश हेतु आवश्यक रूप से फीस जमा करनी होगी। निर्धारित दिनांक तक फीस जमा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

5. शिक्षण तथा अन्य फीसः- शिक्षण तथा अन्य फीस का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा काउन्सिलिंग तिथि के समय घोषित किया जावेगा।

छात्रवृत्ति - स्ववित्तीय पाठ्यक्रम हेतु शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधायें ही लागू होगी।

6. **नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरणः-**

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किसी भी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. **अधिकारिता :-**

किसी भी न्यायलयीन विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तक ही सीमित रहेगा।

,,,,,,

कुलसचिव
ना.दे.प.चि.वि.वि,
जबलपुर

NANAJI DESHMUKH VETERINARY SCIENCE UNIVERSITY, JABALPUR

ANIMAL HUSBANDRY DIPLOMA ADMISSION REGULATIONS, 2021-22

In exercise of the powers conferred by the Madhya Pradesh Veterinary Science University Act, 2009 (No. 16 of 2009) and Madhya Pradesh Veterinary Science University (Amendment) Act, 2012 (No. 32 of 2012), Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur hereby makes the following Rules relating to eligibility of admission in two years Animal Husbandry Diploma course in 05 Veterinary Polytechnics of the State:

1. Short title:-

These Regulations may be called as Animal Husbandry Diploma Course Admission Rules, 2021-22

2. Definitions:-

In these Rules, unless the context otherwise requires--

2.1 "Act" means the Nanaji Deshmukh Veterinary Science University Act, 2009 (No. 16 of 2009) and Amendment Act, 2012 (No. 32 of 2012);

2.2 "Admissions and Fee Regulatory Committee" means the Academic Council constituted by the University under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in educational institutes of university;

2.3 "Annexure" means Annexure appended to these rules;

2.4 "Common Entrance Test" means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counseling for the purpose of merit based on admission to Veterinary Polytechnics through a single window procedure by the University;

2.5 "Competent Authority" means any authority as authorized by the University in this behalf;

2.6 "Fee" means, constitution of Fees Regulation Committee as per provisions of Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Act 2009 and Amendment Act, 2012;

2.7 "Institutional" head means Head of the College/ Veterinary Polytechnic;

2.8 "Qualifying Examination" means the examination of the minimum qualification, passing of which entitles one to seek admission into the relevant Animal Husbandry Diploma course as prescribed in these rules;

2.9 "Single Window System" means a system by which available seats in all the institutions are offered through Common Centralized Counseling to qualified candidates in the order of merit in the Common Entrance Test;

2.10 Vyapam means Professional Examination Board, Bhopal, Madhya Pradesh;

2.11 The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Applicability:-**

These rules shall be applicable to notified Colleges/Veterinary Polytechnics of Nanaji Deshmukh Veterinary Science University conducting Animal Husbandry Diploma course.

4. **Admission Rules:-**

Admission rules for year 2021-22 and onwards--

In all Veterinary Polytechnics the procedure for admission shall be as under:-

4.1 **Availability of Seats:-**

Number of seats available in various Veterinary Polytechnics shall be as follows (Table 1):-

Table-1

S.No	Name of the College	Number of Seats
1.	Veterinary Polytechnic , Jabalpur	64
2.	Veterinary Polytechnic, Mhow	63
3.	Veterinary Polytechnic, Rewa	62
4.	Veterinary Polytechnic, Bhopal	61
5.	Veterinary Polytechnic, Morena	61
	Grand total	**311**

4.2 Allocation/Reservation of seats:-

In every college 16%, 20% and 27% of total seats shall be reserved for the candidates belonging to scheduled castes/scheduled tribes and other backward classes (excluding creamy layer of other backward class) respectively as notified by the State Government in this regard (Table 2).

Table-2

Institution wise reservation

S.No	Name of the College	Gen.	EWS	SC	ST	OBC
1.	Veterinary Polytechnic, Jabalpur	24	3	10	12	16
2.	Veterinary Polytechnic, Mhow	24	2	10	12	16
3.	Veterinary Polytechnic, Rewa	21	2	10	12	17
4.	Veterinary Polytechnic, Bhopal	21	2	09	12	16
5.	Veterinary Polytechnic, Morena	21	2	09	12	16
	Grand Total	111	11	48	60	81
In different categories, 20% seats will be filled up through payment fees						

<u>Free seat reservation</u>

Name of Institute	UR		SC		ST		OBC		Total Seat	EWS
	X	*F*	*X*	*F*	*X*	*F*	*X*	*F*		
Veterinary Polytechnic, Jabalpur	13	6	5	3	6	3	9	4	49	2
Veterinary Polytechnic, Mhow	13	6	6	2	6	3	9	4	49	1
Veterinary Polytechnic, Rewa	12	5	6	2	7	3	9	4	48	2
Veterinary Polytechnic, Bhopal	12	5	5	2	7	3	9	4	47	2
Veterinary Polytechnic, Morena	12	5	5	2	8	2	9	4	47	2
Total	62	27	27	11	34	14	45	20	240	9

Payment seat reservation

Name of Institute	UR		SC		ST		OBC		Total Seat	EWS
	X	F	X	F	X	F	X	F		
Veterinary Polytechnic, Jabalpur	3	2	2	0	1	1	2	1	12	1
Veterinary Polytechnic, Mhow	3	2	1	1	1	1	2	1	12	1
Veterinary Polytechnic, Rewa	3	1	1	1	1	1	3	1	12	0
Veterinary Polytechnic, Bhopal	3	1	2	0	2	1	2	1	12	0
Veterinary Polytechnic, Morena	3	1	1	1	3	0	2	1	12	0
Total	15	7	7	3	8	4	11	5	60	2

NOTE :- F-Female EWS - Economically Weaker Sections X – any category one)

Note:- **The number of seats shown above may increase subject to approval of new Veterinary Polytechnic/Fishery Polytechnic/Dairy Polytechnic from M.P. Govt. and/or start of private Veterinary Polytechnic/Fishery Polytechnic/Dairy Polytechnic.**

4.3 Conversion of seats

In case, the eligible candidates to the extent of reservations in any category are not available, the vacant seats will be filled by making them available in other categories as given below :-

4.3.1 The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.

4.3.2 The vacant seats of SC category shall be filled up by eligible ST category candidates.

4.3.3 In case, the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidate.

4.3.4 In case, the eligible candidates are not available in these above three reserved categories in the above manner, the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.

4.3.5 There will be 30% Horizontal reservation for Female applicants. If according to the prescribed criteria 30% Female candidates are not available in any category then, the seats will be filled by the male candidate of respective category.

4.3.6 There will be 10 % reservation for economically weaker section (EWS) candidates, in which admission will be given as per M.P govt. rules.

4.3.7 The applicant will be entitled for reservation in one class only within a category.

4.4 Eligibility for admission:--

As decided by the Competent Authority of Nanaji Deshmukh Veterinary Science University.

4.4.1 Educational Qualification:-

Candidate must have passed 12th class examination under 10+2 system with science subject (Zoology/Mathematics/Agriculture) from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal /Central

Board of Secondary Education or equivalent examination of 12th class of any Board recognized by Central or concerned state Government with minimum 50% marks. Relaxation of 5% marks will be given to the candidates of SC/ST.

The candidates who have appeared or going to appear in 12th class examination under 10+2 of Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal or equivalent examination can also appear in the entrance examination, but will be eligible for admission in the concerned course only after passing and submission of certficate of 12th class examination under 10+2 system at the time of admission.

4.4.2 Age limit for admission:-

As on 31st December, 2021 candidate must have attain the age of 17 years but not more then 28 years. The upper age limit shall be relaxable up to maximum limit of 5 years as prescribed by Government from time to time, if a candidate belongs to be a woman, scheduled caste, scheduled tribe and other backward class.

4.4.3 The applicant must be a Domicile of M.P. State

4.5 Manner of Admission:-

Common Entrance Test conducted by Nanaji Deshmukh Veterinary Science University through Professional Examination Board, Bhopal, Madhya Pradesh. Professional Examination Board shall prepare merit and waiting list on the basis of marks obtained by candidates in Common Entrance Test and shall provide to University.

4.6 Procedure of Admission:-

4.6.1 The admission in all Veterinary Polytechnics shall be made through online counseling, in the order of merit on the basis of ranking in Common Entrance Test conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.

4.6.2 All these admission shall be done through centralized counseling conducted by the University counseling committee.

4.6.3. University will issue notification/ advertisement and will not call for application for admission separately or individually. University shall complete all formalities of concerning subject as per norms. The candidates are advised to visit the university website **www.ndvsu.org** regularly for information regarding online/spot counseling and rules.

4.6.4. If a candidate fails to present himself/herself for Counseling or fails to produce the relevant certificates in original in prescribed proforma, he/she shall loose his/her chance of selection of Seat and Institution.

4.6.5. If a candidate fails to present himself/herself on the date of document verification/ spot counseling because of serious illness or accident and is admitted in the hospital, then his/her guardian/parents may be permitted to appear in the Counseling on his/her behalf, provided the concerned candidate submits an authority letter to this effect along with a medical certificate having candidate's photograph issued by the concerned Chief Medical Officer/Civil Surgeon as a proof of illness or hospitalization. If at any stage it is found that the information provided by the candidate was wrong, then the admission is liable to be cancelled.

4.6.6. Once a candidate has taken admission in an institution during the process of Counseling he/she shall not be permitted to change it in that phase of counseling.

4.6.7. Once a candidate is admitted in a particular institution through Counseling, no transfer of institution shall be permitted.

4.6.8. The successful candidates shall have to deposit fees as prescribed by the University at the time of counseling.

4.6.9. The candidates who have selected the option of payment seat, will only be eligible for admission in payment seats.

4.7 Cancellation of Admission: -

4.7.1 If at any stage it is found that a candidate has got admission in any institution on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found that admission was given to the candidate due to some mistake or oversight, the admission granted to such a candidate shall be liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of his/her studies by the Competent Authority.

4.7.2 The candidates found eligible after counseling will have to deposit required fees for taking admission. The candidates if not deposit the required fees within the schedule date, his/her admission stands cancelled.

5. Tuition and other Fees:-

- Tuition and other fees shall be as prescribed by the University at the time of counseling.
- **Scholarship** – The scholarship facility provided by M.P.Govt. for self finance programme will be applicable for the students.

6. Modification to rules/procedures:-

The Nanaji Deshmukh Veterinary Science University reserves the rights to amend provision/rules/procedure for admission.

7. Jurisdiction: - In case of any legal dispute, the jurisdiction shall be restricted to the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur only.

Registrar
NDVSU, Jabalpur

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।**

(iii) **पदों/सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

(iv) **अभ्यथी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे**

2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।

(ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यु.ए.डी.आई.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 712 / 2020 भोपाल दिनाक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।

2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित पी ई बी कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनाक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी ई बी स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके| आपरिहर्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए | उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा |

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति:-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।

(iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} **is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}**

$\bar{M}_t^g$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions**

M_q^g **is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions**

$\bar{M}_{ti}$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session**

M_{iq} **is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session**

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु पी.ई.बी. वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है | लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी | उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी |

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **अनुचित साधन (Unfair means)**/ यू.एफ.एम. (**UFM**) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना व उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।

4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।

9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) <u>पररूपधारण **(IMPERSONATION)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी।

2.13 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-1** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.17 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-1** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(iv) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(v) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो - हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे |

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा |

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.19 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** / आधार VID **अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

PEB लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.26 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा "हॉ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.30 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID complain.peb@mp.gov.in पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

2.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
06/10/2021	20/10/2021	**15**	06/10/2021	25/10/2021	**20**

2.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
26 नवम्बर 2021 शुक्रवार	प्रथम	प्रात: 07:00- 08:00 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 11:00 बजे तक (**2**:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर **01**:00- 0**2**:00 बजे	0**2**:50 से 0**3**:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 0**3**:00 से 0**5**:00 बजे तक (**2**:00 घंटे)

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	**4**00/-	**2**00/-	**2**00/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर **2**0/-

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	**4**0/-

2.35 परीक्षा शहर :-

आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है | बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा | तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है । बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में पी ई बी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा | अतः परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे | लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरो/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.36

(i) अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थीअपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है। अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।

(xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा|

(xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

SYLLABUS FOR VETERINARY POLYTECHNIC

ENTRANCE TEST – 2021

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

(A) Physics

Unit and dimensions, dimensional analysis, S.I. Units, Motion29in two dimensions Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation between position and velocity, Uniform circular motion, Force and inertia Newton's Laws of motion Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work energy and power collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring, Rigid Body rotation and conservation of its momentum. Moment of inertia, theorems of Parallel and perpendicular axis. (Moment of inertia of uniform rings, disc, hin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, Universal law of gravitation, geostationary satellites,29escape velocity.

Hooke's law, Young's modular shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature. Specific heats at constant volume and constant pressure, mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's Law and Newton's law of cooling, Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring, Wave motion, principle of superposition; Progressive and stationary waves, Beats and Doppler effect.

Wave nature of light, Interference, Young's double slit Experiment, Velocity of light and Doppler's effect in light. Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses, mirror and29lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope "e" and "e/m" for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radioactive decay, decay constant,29half life and mean life,.

Mass-energy relation, fission. X-Ray: Properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic

semi conductors, pn Junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in a simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors, capacitors

in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer. Measurement of voltages and currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis,

thermoelectricity. Biot Savart law.

Magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a manetic field (Lorentz force), Magnetic moment of

a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two

currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced emf, Faraday's law, Lenz's law, self and mutual

inductance alternating currents, impedence and reactance growth and decay of current

in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

(B) Chemistry

General and Physical Chemistry

Structure of Atom : Constitution of nucleus : Bohr's atom model : quantum numbers

Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto-Kr) : de-Broglie relation,

shapes of orbitals.

Chemical Bond : Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridization (sp) :

hydrogen bond: shapes of molecules (VSERR theory) : bond polarity, resonance,

Elements of VBT MOT.

Solutions: Modes of expressing concentrations of solutions: Types of solutions,

Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular

weights.

Solid State: Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compounds: close packed structure ionic radii, imperfections (Point defects): Properties of solids.

Nuclear Chemistry: Radioactive radiations: half-life, radioactive decay, group displacement structure and properties of nucleus: Nuclear reaction, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses, Radio carbon dating.

Chemical Equilibrium: Chemical equilibrium, Law of mass action: KP and KC: Le Chatelier principle and its application.

Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH : buffers.

Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law, Heats of reactions: Second law of thermodynamics: entropy: free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetics, Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods.

Electrolytic conduction. Faraday's laws; voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nornest equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.

Surface chemistry, Colloids and Catalysis; Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, Catalysis: Types and characteristics.

Inorganic Chemistry:

Principles of metallurgical-operations : Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

Chemical periodicity : s, p, d and f-block elements, periodic Table: periodicity : atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electronegativity, metallic character.

Comparative study of elements: Comparative study of the following families of

elements: (i) alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi)Noble gases.

Transition metals: Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, Potassium permanganate, Potassium dichromate.

Co-ordination compounds: Simple nomenclature, bounding and stability,

Classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: Chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis:

calculations based on acid-base titrimetry.

Organic Chemistry :

Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, Nomenclature of organic compounds common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkyl, benzene, petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclautre, Physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: General ideas of some polyhalogen compounds viz., dichlorothanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T., benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, Chemical propoerties, correlations of physical propoerties with structure and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives.

Brief account of the chemistry of cyanides, isocyanides, amines and nitrogen compounds.

Polymers: Classification: Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Biomolecules: Classification, Structure and biological importance of carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

C. GENERAL STUDIES (20 Question)

1. General Science and Environment

2. Geography, History, Sport and Culture of M.P.

3. Information and Communication Technology

Note:- Up to the level of 11^{th} & 12^{th}

प्रारूप-1

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4” x 5” सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4” x 5” cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxth d y/k gLrk{kj ekU; ugh gkx A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3